भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1409

04 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता

1409. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए खाद्यान्न वितरण प्रणाली में सुधार हेतु सरकार द्वारा ब्लॉकचेन या डेटा विश्लेषण जैसे कौन से स्मार्ट उपाय या निगरानी तंत्र शुरू किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल अपनाया है और वितरण प्रणाली में किस तरीके से सुधार किया गया है;

(ग) राशन कार्ड वितरण में सुधार के लिए सरकार द्वारा लागू की गई सार्वजनिक भागीदारी पहल क्या है जिससे आम नागरिक को इस प्रणाली में अपने अधिकारों के बारे में अधिक सूचना और जानकारी प्राप्त हो सके;

(घ) क्या सरकार राशन वितरण में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को रोकने के लिए किसी प्रकार की 'सकारात्मक सूची' को लागू करने का विचार रखती है, ताकि केवल पात्र व्यक्तियों को ही राशन मिले; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के प्रचालन के मुख्य संकेतकों जैसे ईपीओएस डिजिटल लेनदेन की संख्या, लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण, राशन कार्डों में आधार सीडिंग, उचित दर दुकानों (एफपीएस) पर ईपीओएस उपकरणों की स्थापना, लाभार्थियों का बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण आदि की निरंतर निगरानी करता है। इन संकेतकों के आधार पर, विभाग अपने पीडीएस प्रचालन में सुधार लाने के लिए डाटा विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करता है।

(ख) और (ग): राशन वितरण के लिए कोई सार्वजनिक निजी भागीदारी नहीं है।

...2/-

तथापि, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत संचालित की जाती है। केंद्र सरकार खाद्यान्नों की खरीद, आबंटन और भारतीय खाद्य निगम के निर्दिष्ट डिपो तक परिवहन के लिए जिम्मेदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्नों के आबंटन, पात्र लाभार्थियों/परिवारों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करने, टीपीडीएस के तहत पात्र लाभार्थियों को समय पर खाद्यान्नों का वितरण और उचित दर दुकानों (एफपीएस) की कार्यप्रणाली की निगरानी आदि संबधी की प्रचालनात्मक जिम्मेदारियां संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकारों की हैं।

(घ) और (ड़): पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड जारी करना तथा लाभार्थियों को समय पर खाद्यान्न वितरित करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में सकारात्मक सूची की व्यवस्था बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****